

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक- 3130/14-1 (FP/UP/Approach / 150537 /2021) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 27/04/2024 ।
सेवा में,मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0,
आई0जी0एल भवन, आर0 के पुरम,
सैक्टर -9 नई दिल्ली।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि0मी0 चैनेज 110.200 की दायी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या - (FP/UP/Approach / 150537 /2021)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/171/2023/एफ0सी0/21, दिनांक- 24.04.2024 ।

उपरोक्त विषयक जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा दिल्ली- हरिद्वार मार्ग कि0मी0 चैनेज 110.200 की दायी पटरी खसरा संख्या -1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक- 24.04.2024 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1) जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-24.04.2024 में उल्लिखित शर्त संख्या- 2,3,4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि का आकलन निम्नानुसार है:-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि-						
शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम/स्थल का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है0में)	दर	धनराशि (रु0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5	6	7
शर्त संख्या- 02 व 03	सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर	टिकौला वन ब्लॉक, जानसठ रेंज	0.8205	-	5,00,840.00 (पांच लाख आठ सौ चालीस मात्र/-)	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से

2- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2011- एफ0सी0 (VOI-1) दिनांक- 06.01.2022 के अनुपालन में बढी हुई एन0पी0वी0 (नई दर)						
शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	शुद्धवर्तमान हेतु आवेदित भूमि का क्षेत्रफल(है0में)	दर	धनराशि (रु0में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण	
1	2	3	4	5	6	
शर्त संख्या- 4	सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर	0.4102 हे0	957780.00 प्रति है0	3,92,882.00 (तीन लाख बानवे हजार आठ सौ बयास्सी मात्र/-)	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से	
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि एवं संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि का योग-				8,93,722.00 (आठ लाख तरानवे हजार सात सौ बाईस मात्र/-)		

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक- 22.04.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं0-2, व 3 के अनुपालन में 0.8205 हे० वन भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय अनुरक्षण हेतु धनराशि रुपये - 5,00,840.00 (पांच लाख आठ सौ चालीस मात्र/-) एवं शर्त संख्या- 4 के अनुपालन में 0.4102 हे० संरक्षित वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रुपये- 3,92,882.00 (तीन लाख बानवे हजार आठ सौ बयास्सी मात्र/-), कुल धनराशि रुपये- 8,93,722.00 (आठ लाख तरानवे हजार सात सौ बाईस मात्र/-) की धनराशि प्रयोक्ता एंजेसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 22.04.2024 में उल्लिखित शर्त सं०- 1 से 24 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र/वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया घटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

संख्या- 3130 /14-1(FP/UP/Approach / 150537 /2021) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3. मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, स्वरूप कॉम्प्लैक्स, महावीर चौक, मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया घटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

On Line Proposal No- FP/UP/APPROACH/150537/2021

मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग कि०मी० चैनैज 110.200 की दांयी पटरी खसरा नम्बर 1843/2 के किनारे ग्राम जडौदा, तहसील-सदर, जिला- मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की परियोजना में ' पौधारोपण एवं उनके 10 वर्षीय अनरक्षण की परियोजना ।
स्थल का नाम - **TIKOLA FOREST BLOCK** क्षेत्रफल-0.8205 हे०
राजि का नाम - जानसठ रेंज

MODEL-1600 PLANTS /HEC

अग्रिम मृदा कार्य

रोपित पौध 1313

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य	प्रति	0.8205	96	78.77
2	क्षेत्र की सफाई (अत्याधिक घनी झाड़िया)	प्रति हे०	0.8205	3975	3261.49
3	दो हैरो व चार प्लाऊ किराये के ट्रैक्टर से	प्रति हे०	0.8205	9300	7630.65
4	डोला रिज बनवाने हेतु रेखांकन कार्य	प्रति मी०	2400	0.45	1080.00
5	डोला रिज बनवाना 4-4 मी० की दूरी पर 30 से 45 से०मी० ऊँची, आधार 60 से०मी०	प्रति हे०	0.8205	4043.00	3317.28
6	सुरक्षा खाई खुदान कार्य(1-20×0-90×1-00)	प्रति०मी०	375	67.00	25125.00
7	सुरक्षा खाई पर 02 लाईनों में बीज का एकत्रीकरण कार्य कराना	प्रति०मी०	750	2.40	1800.00
8	पंक्ति बंधन / निशान देही				
9	क-गड्ढा	प्रति गड्ढा	1313	0.4	525.20
10	ख-सुरक्षा खाई	प्रति मी०	375	0.45	168.75
11	गड्ढों का खुदान 45×45×45मी०	प्रति मी०	1313	8.15	10700.95
12	बीज का मूल्य	ल०सं०	0.8205	3933	3227.03
18	पौध उगान पर व्यय 5 प्रतिशत अतिरिक्त (2 प्रतिशत क्षति पौधशाला में तथा 3 प्रतिशत क्षति ढुलान सहित)	प्रति पौध	1379	4.69	6467.51
20	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति	1	8000	8000.00
21	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि				9500.18
कुल योग					80882.80

द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति गड्ढा	1313	0.85	1116.05
2	सुरक्षा खाई की दरेसी तथा 02 लाईनों में बीज बुआन कार्य	प्रति मी०	750	7.61	5707.50
3	रिजों पर बीज बुआन कार्य कराना	प्रति मी०	2400	3.8	9120.00
4	पौधों का रखरखाव कार्य कराना(अप्रैल से जून)	प्रति पौध	1379	1.55	2137.45
5	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	प्रति पौध	1313	0.39	512.07

6	थैली पौध डलान कार्य 03 प्रतिशत अतिरिक्त दूरी 31 से 40 कि०मी०	रा०	1379	3.45	4757.55
7	पौधारोपण कार्य	रा०	1313	5	6565.00
8	रोपित पौध की निराई गुड़ाई तीन बार	रा०	3939	1.4	5514.60
9	रिजों की निराई 02 बार	रा०	4800	1.4	6720.00
10	पौधों की सिचाई (6)बार	रा०	7878	1.9	14968.20
11	थावला बनाना एवं मिट्टी चढाना 2 बार	रा०	2626.0000	0.9	2363.40
13	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों में घास की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
14	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि				7900.73
योग-					70082.00

तृतीय चरण अनुरक्षण प्रथम

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौधारोपण हेतु पौध उगान पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	प्रति पौध	132	4.69	619.08
2	10 प्रतिशत बीटिंगअप हेतु मिट्टी ढीली करना	प्रति पौध	132	3.70	488.40
3	पौध डलान दूरी 31 से 40 कि०मी०	प्रति पौध	136	1.89	257.04
4	पौध रोपण कार्य	सं०	132	5.00	660.00
5	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
6	रिजों की निराई 02 बार	प्रति मी०	2626	1.40	3676.40
7	पौधों की सिचाई (6)बार	प्रति मी०	7878	1.9	14968.20
8	सुरक्षा खाई की मरम्मत आदि कार्य	प्रति मी०	375	10.00	3750.00
10	थावला बनाना तथा मिट्टी चढाना दो बार	सं०	2626	0.90	2363.40
11	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
12	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6700.43
योग-					41697.00

चतुर्थ चरण अनुरक्षण द्वितीय

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
3	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
6	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75

योग-					29183.00
पंचम चरण अनुरक्षण तृतीय					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
3	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
6	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
योग-					29183.00

षष्ठ चरण अनुरक्षण चतुर्थ					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
3	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
6	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
योग-					29183.00

सप्तम चरण अनुरक्षण पंचम					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
3	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
6	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
योग-					29183.00

अष्ठम चरण अनुरक्षण षष्ठ					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
3	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45

6	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
	योग-				29183.00

नवम चरण अनुरक्षण साप्ताह

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
2	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
3	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
4	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
	योग-				29183.00

दसम चरण अनुरक्षण अष्टम

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
2	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
3	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
4	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
	योग-				29183.00

एकादस चरण अनुरक्षण नवम

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
2	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
3	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
4	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
	योग-				29183.00

ह्रादस चरण अनुरक्षण दसम

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
2	पौध की निराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य 03 बार	सं०	3939	1.40	5514.60
3	पौधों की सिचाई आदि कार्य 6 बार	प्रति हे०	7878	1.90	14968.20
4	अग्नि से बचाव हेतु झाड़ियों की सफाई	हे०	0.8205	3290.00	2699.45
6	अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत - उच्चाधिकारी के निरीक्षण डीजल पेट्रोल आदि		0		6000.75
	योग-				29183.00

क्षतिपूरक वनीकरण योजना का सारांश

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धनराशि	आगामी वर्षों में श्रमिक दरों में वृद्धि के फलस्वरूप	कुल धनराशि
1	अग्रिम मदा कार्य	80883	8088	88971
2	वक्षारोपण कार्य	70082	7008	77090
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	41697	4170	45867
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
8	छठा वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
9	सातवा वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
10	आठवा वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
11	नवम वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
12	दसम वर्ष अनुरक्षण	29183	2918	32101
	महायोग-	455309	45531	500840

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जानसठ

क्षेत्रीय वनाधिकारी
जानसठ रेंज
(C.A.R.O.)

(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर
(Pratap R.O.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग (कन्हैया पटेल)
मुजफ्फरनगर
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

(विमल किशोर भारद्वाज)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या—

Proposal Of Diversion Of 0.4102 ha.PF Land for Proposed CNG Filling station
Station Site Of M/S Indraprastha Gas Limited, New Delhi on Delhi-Haridwar
Road,NH-334 (Old NH-58) in km Stone No.111, Km Chainage 110.200 (RHS)
At Khasra No.1843/2, In Village Jarauda Tehsil Sadar, District
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.

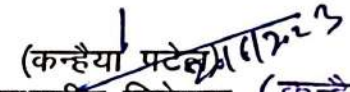
On Line Proposal No- FP/UP/APPROACH/150537/2021

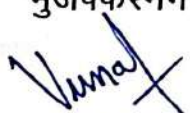
" प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना—

- | | |
|---|-----------------|
| 1— हरियाली घनत्व— | 0.3 |
| 2— इको क्लास श्रेणी— III (Tropical Dry Deciduous Forest) | |
| 3— एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 | रूपये—957780.00 |
| 4— आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल— | 0.4102 है0 |
| 5— कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रूपये— | 392882.00 |


(कुलदीप सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुजफ्फरनगर


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक (कन्हैया पटेल)
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर


(विमल किशोर भारद्वाज)
उप प्रभागीय वन अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/171/2023/एफ.सी./21

दिनांक : 22.04.2024

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/150537/2021

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील-सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3175/11-सी-FP/UP/Approach/150537/2021, दिनांक 05.04.2024.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-198/81-2-2023-800(209)/2023, दिनांक 16.08.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में मै० इन्द्रप्रस्थ गैस लि० नई दिल्ली द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में दिल्ली-हरिद्वार मार्ग किमी० चैनेज 110.200 की दायी पटरी, खंसरा-1843/2 के किनारे ग्राम जड़ौदा, तहसील-सदर, जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सी०एन०जी० फिलिंग स्टेशन के सम्पर्क एवं निकास मार्ग निर्माण हेतु 0.4102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक विभिन्न प्रजातियों के 05 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.8205 ha. Degraded Forest Land in Tikola Forest Block, Jansath Range, Social Forestry Division Muzaffarnagar at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.4102 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

7. Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific species. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.
8. Entire periphery of the establishment should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the land requirement of the establishment.
9. User Agency and authorized signatory oil company issuing sanction letter shall be liable for land use including tree plantation for entry/exit and Separator island strictly as per the approved layout plan and any violation/ non adherence shall attract penal action/ prosecution in competent court of jurisdiction as per Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, (1980), Rules and guidelines.
10. Green Plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly.
11. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
12. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
13. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Diesel Station.
14. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
15. Plantation shall also be done along the inside boundary of Diesel Station.
16. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
17. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The KML file of area proposed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
20. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. **In view of enforced Model Code of Conduct, all the rules, procedure and guidelines in force shall be followed.**
23. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal* (<https://parivesh.nic.in/>).
24. The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

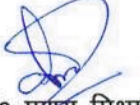
भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
5. डिप्टी जनरल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आई०जी०एल० भवन, आर०के० पुरम, सेक्टर-9, नई दिल्ली।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।



(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}